Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old (M)164]

In the Court of ACJM, Teghra

Case No. 1182 c/2013.

………………………… **P.S. Case No.** ……………………

करुणा देवी **Vs.** नन्द किशोर सिंह व अन्य

Order S. No.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	10-2-2025 (1)	परिवादिनी की हाजिरी है। अभियुक्त नन्द किशोर सिंह की हाजिरी है। शेष चार अभियुक्तगण की ओर से वकालतन हाजिरी दी गयी है जिसे सिर्फ आज हेतु स्वीकृत किया जाता है। आज अभिलेख परिवादिनी की ओर से दिनांक 03-7-2023 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। उभय पक्ष को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण के विरुद्ध जाँच साक्ष्य पश्चात धारा 147, 452, 379, 323, 427, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनता पाया गया। अभियुक्तगण की उपस्थिति पूर्ण होने के बाद दिनांक 11-12-2017 को अभिलेख को आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु नियत किया गया। परिवादिनी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण	

Contd-

Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old (M)164]

In the Court of ACJM, Teghra

Case No. 1182 C/2013.

P.S. Case No.

करुणा देवी **Vs.** नन्द किशोर सिंह व अन्य

	लगातार 10-2-2025 (2)	दिनांक 06-02-2023 को परिवादिनी को यह निर्देश दिया गया कि वह अपना साक्ष्य लगातार दो तिथियों में समाप्त करें। इसके बावजूद साक्ष्य न प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 06-03-2023 को परिवादिनी को अंतिम अवसर दिया गया, जिसका उपयोग न किये जाने की स्थिति में दिनांक 22-05-2023 को परिवादिनी का साक्ष्य बंद किया गया। साक्ष्य बंद किये जाने के पश्चात परिवादिनी की ओर से दिनांक 03-07-2023 को अन्तर्गत धारा 311 CrPC आवेदन दाखिल किया गया। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रत्येक निर्धारित तिथि पर सामान्यतः परिवादिनी की ओर से हाजिरी दाखिल की गयी है। परिवादिनी को लगातार दो तिथियों में साक्ष्य समाप्त करने का निर्देश दिये जाने की तिथि को परिवादिनी का समयावेदन अभिलेख पर है। इस दौरान दिनांक 12-12-2022 को एक अभियुक्ता सीता देवी के विरुद्ध सभी कार्यवाही ~~समाप्त~~ उसकी मृत्यु के आधार पर समाप्त किया गया। उक्त तिथि पर परिवादिनी की हाजिरी अभिलेख पर उपलब्ध है। परिवादिनी की ओर से यह अभिकथन कि उसे वाद की स्थिति की जानकारी नहीं है, सही प्रतीत नहीं होती है।	

Contd -

In the Court of ACJM, Teghra

Case No. 1182c/2013.

.... **P.S. Case No.** ....

करुणा देवी **Vs.** नन्द किशोर सिंह व अन्य.

Order S. No.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार 10-2-2025 (3.)	आरोप पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अभिलेख नियत किये जाने की तिथि (11-12-2017) से साक्ष्य बंद किये जाने की तिथि (22-05-2023) तक परिवादिनी को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु लगभग 6 वर्षों की लम्बी अवधि प्रदान की गयी, परन्तु परिवादिनी की ओर से एक भी गवाह यहाँ तक स्वयं की भी गवाही नहीं करायी गयी। परिवादिनी का यह कृत्य उसके घोर उपेक्षा को उजागर करता है। परिवादिनी को साक्ष्य हेतु कोई अन्य अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में परिवादिनी की ओर से दाखिल आवेदन अन्तर्गत धारा 311 दिनांक 03-07-2023 को अस्वीकृत किया जाता है। अभिलेख को आरोप गठन के बिन्दु पर सुनवाई हेतु नियत किया जाता है। अभियुक्तगण आगामी तिथि को सदेह उपस्थित रहें। बाद दिनांक 26-05-2025. को आरोप हेतु Sd/- 10/02/2025 (SUSHIL PRASAD) ACJM, Teghra.	